गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...512.....
दिनांक 28/4/2022...

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 3(16)गृह–1/2017पार्ट जयपुर, दिनांक :

–: आज्ञा :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 की आरक्षित सूची में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(अस्त्रक्षेप) के पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	खण्ड	जन्म तिथि	वर्ग
1.	आर–01	300225	सुमित जाखड़	अस्त्रक्षेप	10.07.1994	GE, RG

उक्त अधिकारी द्वारा परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 (Grade Pay-6000) पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित/नियम/2006, दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन देय होंगें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें एवं यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. उक्त नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एव अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
2. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।

पृष्ठ–2 पर जारी.....